

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अन्तर्गत 74 अनुसूचित विभागों में देय परिवर्तनीय महंगाई भत्ता
 द्वारा 59 तथा अधिसूचना संख्या-850/36-03-2019-931(व्युपे0)/06 दिनांक: 30 सितम्बर 2019 द्वारा 15 अनुसूचित विभागों में
 नियोजित कर्मचारियों हेतु मजदूरी की मूल दरों एवं परिवर्तनीय महंगाई भत्ते का निर्धारण किया गया है। मजदूरी की जो दरें मासिक
 आधार पर निर्धारित की गयी हैं उनको दैनिक दर, मूल मजदूरी और परिवर्तनीय महंगाई भत्ते को 1/26 से कम तथा प्रति घंटे दर
 दैनिक दर का 1/6 से कम न होगी।

उक्त के अनुक्रम में विम्बलिखित 74 विभागों में नियोजित कर्मचारियों के लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
 आधार वर्ष(2001=100) माह जुलाई 2012 से दिसम्बर 2012 के औसत 216 अंको के ऊपर जुलाई 2023 से दिसम्बर 2023 के औसत
 अंक 400 पर दिनांक: 1-04-2024 से 30-9-2024 तक की अवधि हेतु परिवर्तनीय महंगाई भत्ता विम्बलिखित वृष्टान्त की भांति
 गणना करके देय होगा:-

वृष्टान्त-रूपये 5750/- प्रतिमाह मजदूरी पाने वाले अकुशल श्रेणी के कर्मचारियों को औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-400
 पर दिनांक: 1-04-2024 से 30-9-2024 तक की अवधि हेतु परिवर्तनीय महंगाई भत्ता विम्बलिखित होगा।
 (400-216)

..... X5750= ₹0-4898/- प्रतिमाह

216

विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों को देय प्रतिमाह मूल मजदूरी परिवर्तनीय महंगाई भत्ता की मासिक एवं दैनिक मजदूरी की दरें।
 दिनांक: 1.04.2024 से 30.9.2024 तक

क्रमांक	श्रेणी	प्रतिमाह मूल मजदूरी रूपये में	दिनांक: 1.10.2023 से 31.3.2024 तक कुल मजदूरी (रूपये में)	परिवर्तनीय महंगाई भत्ता ₹0 में दिनांक: 1.04.2024 से 30.9.2024 तक	कुल मजदूरी (रूपये में) (3+5)	दैनिक मजदूरी (रूपये में) (1/26)
1	2	3	4	5	6	7
1	अकुशल	5750	10275	4898	10648	410
2	अर्धकुशल	6325	11303	5388	11713	451
3	कुशल	7085	12661	6035	13120	505

2 ईट भट्टा उद्योग नियोजन में नियोजित श्रमिकों की मजदूरी विम्बलत है:-

क्रमांक	श्रेणी	दिनांक: 1.04.2024 से 30.9.2024 तक उपरोक्त तालिका के क्रमांक 1 व 3 के अनुसार न्यूनतम वेतन देय होगा		
1	2	मूल मजदूरी	परिवर्तनीय महंगाई भत्ता ₹0 में	कुल मजदूरी (रूपये में)
1	अकुशल			रूपया-676/- प्रति हजार
2	कुशल	₹0-365	₹0-311	
2	पधरा			रूपया-204/- प्रति हजार
	भराईवाला			रूपया-244/- प्रति हजार
	(1) 500 मीटर की दूरी तक	₹0-110	₹0-94	
	(2) 500 मीटर से अधिक	₹0-132	₹0-112	
3	निकारसी वाला	₹0-110	₹0-94	रूपया-204/- प्रति हजार

- रबर की विनिर्माणशाला और रबर उत्पाद(टायर और टयूब सहित) के उद्योग।
- प्लास्टिक उद्योग और प्लास्टिक उत्पाद के उद्योग।
- मिथान उद्योग।
- वाशित पेयो(एरोटेड ड्रिक्स) के विनिर्माण।
- फल के रसों की विनिर्माणशाला।
- परतदार लकड़ी(प्लाइवुड) के उद्योग।
- पेट्रोल और डीजल आयल पम्प।
- डेरी और मिल्क डेरी।
- सिल सिलाये कपड़ों की विनिर्माणशाला।
- बीघ तटबन्ध के निर्माण और अनुसूचण, सिंचाई परियोजनाओं कुओं और तालाबों की खुदाई।
- उन समस्त रजिस्ट्रीकृत कारखानों में नियोजन, जिनका उल्लेख पहले नहीं किया गया है।
- प्राइवेट अस्पताल(नर्सिंग होम्स) एवं प्राइवेट क्लीनिकों और प्राइवेट डाक्टरों सामान की दुकानों।
- ढलाई घर।
- धातु उद्योग।
- टिन प्लेट शॉपिंग और टिन प्रिंटिंग।
- ऐसे अभियन्त्रण उद्योग जिसमें 50 से कम व्यक्ति नियोजित हों।
- चर्म शोधनशाला और चर्म विनिर्माणशाला।
- चर्म वस्तु विनिर्माण उद्योग।
- होजरी सकर्म।
- निजी पुस्तकालय।
- काष्ठ सकर्म और फर्नीचर उद्योग।
- प्राइवेट कोचिंग कक्षाओं प्राइवेट विद्यालयों, जिनमें नर्सरी स्कूल और निजी प्राथमिक संस्थाएं भी सम्मिलित हैं।
- तम्बाकू विनिर्माण।
- धर्मशाला।

- 25 वाणिजी(फारेस्ट्री) लट्टा बनाने और काष्ठ कार्य, जिसके अन्तर्गत किसी अन्य वन उपज का संग्रहण और उसे मण्डी में ले जाना भी है।
 26 दुकानों में
 27 वाणिज्य अधिष्ठानों में।
 28 चावल मिल, आटा मिल या दाल मिल।
 29 तेल मिल।
 30 लोक मीटर परिवहन।
 31 धौंसिक परिवहन कर्मशाला।
 32 आटोमोबाइल रिपेयरिंग कर्मशाला।
 33 सड़कों के निर्माण या उन्हें बनाये रखने का निर्माण सक्रियाओं।
 34 पाथर लोडने या पाथर कूटने।
 35 चिकन के कार्य।
 36 दियासलाई उद्योग।
 37 आइसक्रीम/आईसक्रीम विनिर्माणशाला।
 38 बेकरी और बिस्कुट विनिर्माणशाला।
 39 बर्फी विनिर्माणशाला।
 40 एस्बेस्टस सीमेन्ट कारखानों और अन्य सीमेन्ट उत्पाद विनिर्माणशाला।
 41 लाण्डी और धुलाई अधिष्ठान।
 42 जिल्दसाजी।
 43 कोल्ड स्टोरेज।
 44 पाटरी, सिरेमिक्स या रिफ़ैक्ट्रीज।
 45 निजी मुद्रणालय।
 46 सिनेमा उद्योग।
 47 कपड़ा छपाई।
 48 सिलाई उद्योग।
 49 ऐलोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी फार्मसी।
 50 क्लब
 51 हथकरघा(शिल्प की साड़ी बुनाई) जरी के कार्य।
 52 कपड़ा धोने या प्रसाधन के साबुन या सिलिकेट या साबुन का घूर्ण या प्रक्षालक विनिर्माण।
 53 ऊनी कम्बल बनाने के अधिष्ठान
 54 खाण्डसारी।
 55 हथकरघा उद्योग।
 56 शक्ति चालित करघा उद्योग।
 57 छोटा(मिनिएचर) बल्ब एवं कौच उत्पादों के निर्माण।
 58 कागज, गत्ता और पेपर बोर्ड उद्योग।
 59 ईट भट्ठा उद्योग।
 60 ताला उद्योग के नियोजन में।
 61 पीतल के बर्तनों एवं पीतल उत्पाद के विनिर्माण के नियोजन।
 62 किसी निजी सुरक्षा और सेवा प्रदाता अभिकरण में नियोजित सुरक्षा कर्मी(सुरक्षा कर्मियों) जिनमें हथियार सहित/हथियार रहित आदि कर्मी सम्मिलित हों।
 63 बृहारने और सफाई में नियोजन, जिसमें सफाई कर्मचारी नियोजन एवं शुष्क सौचालयों का निर्माण(प्रतिरोध) अधिनियम 1993 के अन्तर्गत के निषिद्ध क्रिया-कलाप सम्मिलित नहीं हैं।
 64 घरेलू कामगारों का नियोजन।
 65 कम्प्यूटर हार्डवेयर उद्योग एवं सेवाओं में नियोजन।
 66 एलपीजीवितरण एवं संबंधित सेवाओं में नियोजन।
 67 टैक्सीज, आटोरिक्सा/टैम्पो एवं ट्रेवलिंग अभिकरण में नियोजन।
 68 केबिल आपरेटर एवं संबंधित सेवाओं में नियोजन।
 69 गैर सरकारी संगठन(एनओजी/एनओ) एवं संबंधित सेवाओं में नियोजन।
 70 विद्युत संतर्धन(विद्युत संतर्धन(सेवा शर्त) अधिनियम 1976 के अधीन सम्मिलित अथा सम्मिलित किये जाने वाले किसी उद्योगों में) में नियोजन।
 71 हेयर कटिंग सैलून एवं ब्यूटी पार्लर(पुरुष एवं महिलायें) में नियोजन।
 72 कारपोरेट कार्यालयों में नियोजन।
 73 काल सेन्टर/आईटीओ इण्डस्ट्रीज/टेलीकालिंग सेवाओं आदि में नियोजन।
 74 ऐसे प्रतिष्ठान जो किसी अनुरूचित नियोजन के अधीन आच्छादित न हों, में नियोजन।

(अजय कुमार मिश्रा)
 उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
 कृते श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

कार्यालय, श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, जी० टी० रोड, कानपुर।

संख्या 1784-90 प्रवर्तन-(एम०डब्ल्यू०)/15

दिनांक 16/05/2024

- विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, श्रम अनुभाग-3, बापू भवन, लखनऊ को उनके पत्र संख्या-784/36-03-2024-1805057 दिनांक: 14-05-2024 के सन्दर्भ में सूचनाएँ प्रेषित।
- समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त उ०प्र० को इस आशय से प्रेषित कि अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत कराये तथा श्रमिकों, सेवायोजकों व उनके प्रतिनिधियों द्वारा माँगे जाने पर उपलब्ध कराए।
- सहायक निदेशक, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय(वेज सेल)भारत सरकार नई दिल्ली ई-मेल wagecell@nic.in के माध्यम से
- अधिशासी निदेशक उद्योग बन्धु, लखनऊ।
- उप श्रम आयुक्त(आई०आर०), मुख्यालय, कानपुर।
- उप श्रम आयुक्त(कम्प्यूटर), मुख्यालय को समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त को ईमेल के माध्यम से प्रेषित कराने तथा विमागीय वेबसाइट www.uplabour.gov.in पर अपलोड कराने हेतु।
- श्री हिमांशु कुमार, पुस्तकालयाध्यक्ष, मुख्यालय को अनिलेखार्थ प्रेषित।

(अजय कुमार मिश्रा)
 उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
 कृते श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत 74 अनुसूचित नियोजनों में देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत राजाज्ञा संख्या-194/36 -3-2014-07 (न्यू0वे0)/4 दिनांक: 28-1-2014 द्वारा 59 तथा अधिसूचना संख्या-850/36-03 -2019 -931(न्यू0वे0)/06 दिनांक: 30 सितम्बर 2019 द्वारा 15 अनुसूचित नियोजनों में नियोजित कर्मकारों हेतु मजदूरी की मूल दरों एवं परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते का निर्धारण किया गया है। मजदूरी की जो दरें मासिक आधार पर निर्धारित की गयी हैं उनकी दैनिक दर, मूल मजदूरी और परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते के 1/26 से कम तथा प्रति घंटे दर दैनिक दर का 1/6 से कम न होगी।

उक्त के अनुक्रम में निम्नांकित 74 नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों के लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष(2001=100) माह जुलाई 2012 से दिसम्बर 2012 के औसत 216 अंको के ऊपर जुलाई 2022 से दिसम्बर 2022 के औसत अंक 379 पर दिनांक: 1-04-2023 से 30-9-2023 तक की अवधि हेतु परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता निम्नलिखित दृष्टान्त की भाँति गणना करके देय होगा:-

दृष्टान्त-रूपसे 5750/-प्रतिमाह मजदूरी पाने वाले अकुशल श्रेणी के कर्मचारियों को औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-379पर दिनांक: 1-04-2023 से दिनांक: 30-9-2023 तक की अवधि हेतु परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता निम्नलिखित होगा।

(379-216)

.....X5750= रू0-4339/-प्रतिमाह

216

विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों को देय प्रतिमाह मूल मजदूरी, परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता, की मासिक एवं दैनिक मजदूरी की दरें।

कर्मिक	श्रेणी	प्रतिमाह मूल मजदूरी रूपये में	दिनांक:1.10.2022 से 31.3.2023 तक (कुल मजदूरी रू0 में)	परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता रू0 में	दिनांक:1.04.2023 से 30.9.2023 तक	
				दिनांक:1.04.2023 से 30.9.2023 तक	कुल मजदूरी (रूपये में) (3+5)	दैनिक मजदूरी (रूपये में) (1/26)
1	2	3	4	5	6	7
1	अकुशल	5750	9743	4339	10089	388
2	अधकुशल	6325	10717	4773	11098	427
3	कुशल	7085	12005	5347	12432	478

2 ईट मट्टा उद्योग नियोजन में नियोजित श्रमिकों की मजदूरी निम्नवत् है:-

कर्मिक	श्रेणी	दिनांक:1.04.2023 से 30.9.2023 तक		
1	अकुशल	उपरोक्त तालिका के कर्मिक 1 व 3 के अनुसार न्यूनतम देय देय होगा		
2	कुशल			
		मूल मजदूरी	परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता रू0 में	कुल मजदूरी(रूपये में)
2	पथेरा	रू0-365	रू0-275	रूपया-640/- प्रति हजार
	भराईवाला			
	(1) 500 मीटर की दूरी तक	रू0-110	रू0-83	रूपया-193/- प्रति हजार
	(2) 500 मीटर से अधिक	रू0-132	रू0-100	रूपया-232/- प्रति हजार
3	निकासी वाला	रू0-110	रू0-93	रूपया-193/- प्रति हजार

- 1 रबर की विनिर्माणशाला और रबर उत्पाद(टायर और ट्यूब सहित) के उद्योग।
- 2 प्लास्टिक उद्योग और प्लास्टिक उत्पाद के उद्योग
- 3 मिष्ठान उद्योग।
- 4 वास्तव पेयो(एरोटेड ड्रिंक्स) के विनिर्माण।
- 5 फलों के रसों की विनिर्माणशाला।
- 6 पत्तवार लकड़ी(प्लाईवुड) के उद्योग।
- 7 पेट्रोल और डीजल आयल पम्प।
- 8 डेरी और मिल्क डेरी।
- 9 सिल सिलायें कपड़ों की विनिर्माणशाला।
- 10 बौध तटबन्ध के निर्माण और अनुसंधान, सिंचाई परियोजनाओं कुओं और तालाबों की खुदाई।
- 11 उन समस्त रजिस्ट्रीकृत कारखानों में नियोजन, जिनका उल्लेख पहले नहीं किया गया है।
- 12 प्राइवेट अस्पताल(नर्सिंग होम्स) एवं प्राइवेट क्लिनिकों और प्राइवेट डाक्टरों सामान की दुकानों।
- 13 झलाई घर।
- 14 घातु उद्योग।
- 15 टिन प्लेट शॉपिंग और टिन प्रिंटिंग।
- 16 ऐसे अभियन्त्रण उद्योग जिसमें 50 से कम व्यक्ति नियोजित हों।
- 17 घर्म शोधनशाला और घर्म विनिर्माणशाला।
- 18 घर्म वस्तु विनिर्माण उद्योग।
- 19 होजरी सिकर्म।
- 20 निजी पुस्तकालय।
- 21 काफ़ सिकर्म और फर्नीचर उद्योग।
- 22 प्राइवेट कोचिंग कक्षाओं प्राइवेट विद्यालयों, जिनमें नर्सरी स्कूल और निजी प्राविधिक संस्थाएं भी सम्मिलित है।
- 23 तन्हाकू विनिर्माण।
- 24 धर्मशाला।

- 25 बानिसी(फारेस्ट्री) लट्ठा बनाने और काष्ठ कार्य, जिसके अन्तर्गत किसी अन्य वन उपज का संग्रहण और उसे मण्डी में ले जाना भी है।
- 26 दुकानों में
- 27 वाणिज्य अधिष्ठानों में।
- 28 चावल मिल, आटा मिल या दाल मिल।
- 29 तैल मिल।
- 30 लोक मीटर परिवहन।
- 31 यंत्रिक परिवहन कर्मशाला।
- 32 आटोमोबाइल रिपेयरिंग कर्मशाला।
- 33 सड़कों के निर्माण या उन्हें बनाये रखने का निर्माण सक्रियाओं।
- 34 पत्थर तोड़ने या पत्थर कूटने।
- 35 धिकन के कार्य।
- 36 दियासलाई उद्योग।
- 37 आइसक्रीम/आइसक्रीम विनिर्माणशाला।
- 38 बेकरी और बिस्कुट विनिर्माणशाला।
- 39 बर्फ विनिर्माणशाला।
- 40 एस्बेस्टस सीमेन्ट कारखानों और अन्य सीमेन्ट उत्पाद विनिर्माणशाला।
- 41 लागू और धुलाई अधिष्ठान।
- 42 जिल्दसाजी।
- 43 कोल्ड स्टोरेज।
- 44 पाटरी, सिरमिक्स या रिफ़ेक्ट्रीज।
- 45 निजी मुद्रणालय।
- 46 सिनेमा उद्योग।
- 47 कपड़ा छपाई।
- 48 सिलाई उद्योग।
- 49 ऐलोपैथिक, आयुर्वेदिक, दूगानों फार्मसी।
- 50 क्लब
- 51 हथकरघा(सिल्क को साड़ी बुनाई) जरी के कार्य।
- 52 कपड़ा धोने या प्रसाधन के साबुन या सिलिकेट या साबुन का घूर्ण या प्रक्षालक विनिर्माण।
- 53 ऊनी कम्बल बनाने के अधिष्ठान
- 54 खाण्डसारी।
- 55 हथकरघा उद्योग।
- 56 शक्ति चालित करघा उद्योग।
- 57 छोट(मिनिएचर) बल्ब एवं कौंच उत्पादों के निर्माण।
- 58 कागज, गत्ता और पेपर बोर्ड उद्योग।
- 59 ईट मट्टा उद्योग।
- 60 ताला उद्योग के नियोजन में।
- 61 पीतल के बर्तनों एवं पीतल उत्पाद के विनिर्माण के नियोजन।
- 62 किसी निजी सुरक्षा और सेवा प्रदाता अभिकरण में नियोजित सुरक्षा कर्मी(सुरक्षा कर्मियों) जिनमें हथियार सहित/हथियार रहित आदि कर्मी सम्मिलित हों।
- 63 बुहारने और सफाई में नियोजन, जिसमें सफाई कर्मचारी नियोजन एवं शुष्क-सीचालरों का निर्माण(प्रातिशेध) अधिनियम 1993 के अन्तर्गत के निषिद्ध किया-कलाप सम्मिलित नहीं है।
- 64 घरेलू कामगारों का नियोजन।
- 65 कम्प्यूटर हार्डवेयर उद्योग एवं सेवाओं में नियोजन।
- 66 एल0पी0जी0वितरण एवं संबंधित सेवाओं में नियोजन।
- 67 टैक्सीज, आटोरिक्सा/टैम्सों एवं ट्रैवलिंग अभिकरण में नियोजन।
- 68 केबिल आपरेटर एवं संबंधित सेवाओं में नियोजन।
- 69 गैर सरकारी संगठन(एन0जी0ओ0) एवं संबंधित सेवाओं में नियोजन।
- 70 विक्रय संवर्धन(विक्रय संवर्धन(सेवा शर्त) अधिनियम 1976 के अधीन सम्मिलित अथा सम्मिलित किये जाने वाले किसी उद्योगों में) में नियोजन।
- 71 हेयर कटिंग सैलून एवं व्यूटी पार्लर(पुरुष एवं महिलायें) में नियोजन।
- 72 कारपोरेट कार्यालयों में नियोजन।
- 73 काल सेंटर/आई0टी0 इण्डस्ट्रीज/टेलीकॉमिंग सेवाओं आदि में नियोजन।
- 74 ऐसे प्रतिष्ठान जो किसी अनुसूचित नियोजन के अधीन आच्छादित न हों, में नियोजन।

km
03.11.2023

(अजय कुमार मिश्रा)

उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
कृते श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

कार्यालय, श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, जी0 टी0 रोड, कानपुर।

संख्या 2-9 प्रवर्तन-(एम0डब्लू0)/15

दिनांक: 3/4/2023

- 1 समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत करायें तथा श्रमिकों, सेवायोजकों व उनके प्रतिनिधियों द्वारा मॉगे जाने पर उपलब्ध करार।
- 2 अनुसंधिव, उत्तर प्रदेश शासन, श्रम अनुभाग-3, बापू भवन, लखनऊ।
- 3 सहायक निदेशक, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय(केज सेल)भारत सरकार नई दिल्ली ई-मेल wagecell@nic.in के माध्यम से
- 4 अधिशासी निदेशक उद्योग बन्धु, लखनऊ।
- 5 उप श्रम आयुक्त(आई0आर0) मुख्यालय, कानपुर।
- 6 उप श्रम आयुक्त(कम्प्यूटर) मुख्यालय को समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त को ईमेल के माध्यम से प्रेषित कराने तथा विभागीय वेबसाइट www.uplabour.gov.in पर अपलोड कराने हेतु।
- 7 श्री हिमांशु कुमार, पुस्तकालयाध्यक्ष, मुख्यालय को अभिलेखार्थ प्रेषित।
- 8 समस्त प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों को जन सामान्य की जानकारी हेतु जनहित में निशुल्क प्रकाशनार्थ।

(अजय कुमार मिश्रा)

उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
कृते श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत 74 अनुसूचित नियोजनों में देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत राजाजा संख्या-194/36 -3-2014-07 (न्यूवे0)/4 दिनांक: 28-1-2014 द्वारा 59 तथा अधिसूचना संख्या-850/36-03 -2019 -931(न्यूवे0)/06 दिनांक: 30 सितम्बर 2019 द्वारा 15 अनुसूचित नियोजनों में नियोजित कर्मकारों हेतु मजदूरी की मूल दरों एवं परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते का निर्धारण किया गया है। मजदूरी की जो दरें मासिक आधार पर निर्धारित की गयी है उनकी दैनिक दर, मूल मजदूरी और परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते के 1/26 से कम तथा प्रति घंटे दर दैनिक दर का 1/6 से कम न होगी।

उक्त के अनुक्रम में निम्नांकित 74 नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों के लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष(2001=100) माह जुलाई 2012 से दिसम्बर 2012 के औसत 216 अंको के ऊपर जनवरी 2023 से जून 2023 के औसत अंक 386 पर दिनांक: 1-10-2023 से 31-3-2024 तक की अवधि हेतु परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता निम्नलिखित दृष्टान्त की भाँति गणना करके देय होगा:-

दृष्टान्त-रूपये 5750/-प्रतिमाह मजदूरी पाने वाले अकुशल श्रेणी के कर्मचारियों को औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-386 पर दिनांक: 1-10-2023 से दिनांक: 31-03-2024 तक की अवधि हेतु परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता निम्नलिखित होगा।

(386-216)

X5750= रू0-4525/-प्रतिमाह

216

विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों को देय प्रतिमाह मूल मजदूरी, परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता, की मासिक एवं दैनिक मजदूरी की दरें।

कर्मोंक	श्रेणी	प्रतिमाह मूल मजदूरी रूपये में	दिनांक:1.04.2023 से 30.9.2023 तक (कुल मजदूरी रू0 में)	परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता रू0 में	दिनांक:1.10.2023 से 31.3.2024 तक	कुल मजदूरी (रूपये में) (3+5)	दैनिक मजदूरी (रूपये में) (1/26)
				5			
1	अकुशल	5750	10089	4525	10275	395	
2	अर्धकुशल	6325	11098	4978	11303	435	
3	कुशल	7085	12432	5576	12661	487	

2 ईट नट्टा उद्योग नियोजन में नियोजित श्रमिकों की मजदूरी निम्नवत् है:-

कर्मोंक	श्रेणी	दिनांक:1.10.2023 से 31.3.2024 तक		
		मूल मजदूरी	परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता रू0 में	कुल मजदूरी(रूपये में)
1	अकुशल	रू0-365	रू0-287	रूपया-652/- प्रति हजार
2	पथेरा			
	भराईवाला			
	(1) 500 मीटर की दूरी तक	रू0-110	रू0-87	रूपया-197/- प्रति हजार
	(2) 500 मीटर से अधिक	रू0-132	रू0-104	रूपया-236/- प्रति हजार
3	निकासी वाला	रू0-110	रू0-87	रूपया-197/- प्रति हजार

- रबर की विनिर्माणशाला और रबर उत्पाद(टायर और ट्यूब सहित) के उद्योग।
- प्लास्टिक उद्योग और प्लास्टिक उत्पाद के उद्योग
- मिथ्टान उद्योग।
- वास्तव धरो(एरोटेड ड्रिक्स) के विनिर्माण।
- फलों के रसों की विनिर्माणशाला।
- परतदार लकड़ी(प्लाईवुड) के उद्योग।
- पेट्रोल और डीजल आयल पम्प।
- डेंरी और मिल्क डेरी।
- सिल सिलारे कम्पों की विनिर्माणशाला।
- बौध तटबन्ध के निर्माण और अनुक्षण, सिंचाई परियोजनाओं कुओं और तालाबों की खुदाई।
- उन समस्त राजस्वीकृत कारखानों में नियोजन, जिनका उल्लेख पहले नहीं किया गया है।
- प्राइवेट अस्पताल(नर्सिंग होम्स) एवं प्राइवेट क्लीनिकों और प्राइवेट डाक्टरों सामान की दुकानों।
- टल्लई घर।
- धातु उद्योग।
- टिन प्लेट शॉपिंग और टिन प्रिंटिंग।
- ऐसे अभियन्त्रण उद्योग जिसमें 50 से कम व्यक्ति नियोजित हों।
- घन संवहनशाला और घन विनिर्माणशाला।
- घन वस्तु विनिर्माण उद्योग।
- होजरी संकर्म।
- निजी पुस्तकालय।
- काच संकर्म और फर्नीचर उद्योग।
- प्राइवेट कोचिंग कक्षाओं प्राइवेट विद्यालयों, जिनमें नर्सरी स्कूल और निजी प्राथमिक संस्थाएं भी सम्मिलित है।
- सम्बाकू विनिर्माण।
- घर्मशाला।

- 25 वानिकी(फारेस्ट्री) लट्टा बनाने और काष्ठ कार्य, जिसके अन्तर्गत किसी अन्य वन उपज का संग्रहण और उसे मण्डी में ले जाना भी है।
- 26 दुकानों में।
- 27 वाणिज्य अधिष्ठानों में।
- 28 चावल मिल, आटा मिल या दाल मिल।
- 29 तेल मिल।
- 30 लोक मोटर परिवहन।
- 31 यंत्रिक परिवहन कर्मशाला।
- 32 आटोमोबाइल रिपेयर्स कर्मशाला।
- 33 सड़कों के निर्माण या उन्हें बनाये रखने का निर्माण संकियाओं।
- 34 पत्थर तोड़ने या पत्थर फूटने।
- 35 धिकन के कार्य।
- 36 दियासलाई उद्योग।
- 37 आइसक्रीम/आइसक्रीम विनिर्माणशाला।
- 38 बेकरी और बिस्कुट विनिर्माणशाला।
- 39 बर्फ विनिर्माणशाला।
- 40 एस्बेस्टस सीमेन्ट कारखानों और अन्य सीमेन्ट उत्पाद विनिर्माणशाला।
- 41 लाण्डी और घुलाई अधिष्ठान।
- 42 जिल्दसाजी।
- 43 कोल्ड स्टोरेज।
- 44 पाटरी, सिरेमिक्स या रिफ्रेक्ट्रीज।
- 45 निजी मुद्रणालय।
- 46 सिनेमा उद्योग।
- 47 कपड़ा छपाई।
- 48 सिलाई उद्योग।
- 49 ऐलोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी फार्मसी।
- 50 क्लब
- 51 हथकरघा(सिल्क की साड़ी बुनाई) जरी के कार्य।
- 52 कपड़ा धोने या प्रसाधन के साबुन या सिलिकेट या साबुन का चूर्ण या प्रसालक विनिर्माण।
- 53 ऊनी कम्बल बनाने के अधिष्ठान
- 54 खाण्डसारी।
- 55 हथकरघा उद्योग।
- 56 शक्ति चालित करघा उद्योग।
- 57 छोटा(मिनिएचर) बल्ब एवं कांच उत्पादों के निर्माण।
- 58 कागज, गत्ता और पेपर बोर्ड उद्योग।
- 59 ईट भट्टा उद्योग।
- 60 ताला उद्योग के नियोजन में।
- 61 पीतल के बर्तनों एवं पीतल उत्पाद के विनिर्माण के नियोजन।
- 62 किसी निजी सुरक्षा और सेवा प्रदाता अभिकरण में नियोजित सुरक्षा कर्मी(सुरक्षा कर्मियों) जिनमें हथियार सहित/हथियार रहित आदि कर्मी सम्मिलित हों।
- 63 बुहारने और सफाई में नियोजन, जिसमें सफाई कर्मचारी नियोजन एवं शुष्क सौचालयों का निर्माण(प्रातिशेघ) अधिनियम 1993 के अन्तर्गत के निविद्ध क्रिया-कलाप सम्मिलित नहीं है।
- 64 घरेलू कामगारों का नियोजन।
- 65 कम्प्यूटर हार्डवेयर उद्योग एवं सेवाओं में नियोजन।
- 66 एल0पी0जी0वितरण एवं संबंधित सेवाओं में नियोजन।
- 67 टैक्सीज, आटोरिक्शा/टैम्पो एवं ट्रेवलिंग अभिकरण में नियोजन।
- 68 कंबिल आपरेटर एवं संबंधित सेवाओं में नियोजन।
- 69 गैर सरकारी संगठन(एन0जी0ओ) एवं संबंधित सेवाओं में नियोजन।
- 70 विक्रय संवर्धन(विक्रय संवर्धन(सेवा शर्त) अधिनियम 1976 के अधीन सम्मिलित अथा सम्मिलित किये जाने वाले किसी उद्योगों में) में नियोजन।
- 71 हेयर कॉटिंग सैलून एवं ब्यूटी पार्लर(पुरुष एवं महिलायों) में नियोजन।
- 72 कारपोरेट कार्यालयों में नियोजन।
- 73 काल सेन्टर/आई0टी0 इण्डस्ट्रीज/टेलीकॉमिंग सेवाओं आदि में नियोजन।
- 74 ऐसे प्रतिष्ठान जो किसी अनुसूचित नियोजन के अधीन आच्छादित न हों, में नियोजन।

कार्यालय, श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, जी0 टी0 रोड, कानपुर।

संख्या 1013-20 प्रवर्तन-(एन0डब्ल्यू0)/15

दिनांक 29/9/2023

- समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत कराये तथा श्रमिकों, सेवायोजकों व उनके प्रतिनिधियों द्वारा की जाने पर उपलब्ध कराएं।
- अनुसूचित, उत्तर प्रदेश शासन, श्रम अनुभाग-3, बापू भवन, लखनऊ।
- सहायक निदेशक, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय(विज सैल)भारत सरकार नई दिल्ली ई-मेल wagecell@nic.in के माध्यम से
- अधिसूचनी निदेशक उद्योग बन्धु, लखनऊ।
- उप श्रम आयुक्त(आई0आर0), मुख्यालय, कानपुर।
- उप श्रम आयुक्त(कम्प्यूटर), मुख्यालय को समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त को ईमेल के माध्यम से प्रेषित करने तथा विभागीय वेबसाइट www.uplabour.gov.in पर अपलोड कराने हेतु।
- श्री हिमायु कुमार, पुस्तकालयाध्यक्ष, मुख्यालय को अभिलेखाध्यक्ष प्रेषित।
- समस्त प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों को जन सामान्य की जानकारी हेतु जनहित में निशुल्क प्रकाशनार्थ।

(अजय कुमार मिश्रा)
उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
कृते श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

(अजय कुमार मिश्रा)
उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
कृते श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

कार्यालय श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश, जी0टी0 रोड, कानपुर।

पत्र संख्या:

/आई0आर0डी0-2024 (म0म0इ0जी0)

दिनांक:

2024

कार्यालय-ज्ञाप

राज्य में 50 या 50 से अधिक श्रमिक नियोजित करने वाले इंजीनियरिंग कारखानों में नियोजित समस्त श्रेणी के श्रमिकों के लिए परिवर्तनीय मंहगाई भत्तों की गणना के लिए शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-4/2016/873/36-1-2016-549(एस0टी0)/8 दिनांक 14.09.2016 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2001=100) के 239 अंकों के ऊपर मंहगाई को शत-प्रतिशत निष्पत्ती किये जाने का प्रावधान है। मंहगाई भत्ते का समायोजन अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत पर 01 फरवरी से पूर्ववर्ती वर्ष के जुलाई से दिसम्बर माह तक एवं 01 अगस्त से उसी वर्ष के जनवरी से जून माह तक अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत पर किये जाने का प्रावधान है।

उक्त के क्रम में अभियंत्रण इकाईयों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 239 अंकों के ऊपर जुलाई, 2023 से दिसम्बर, 2023 तक सूचकांक के औसत अंक 400 पर जो 01 फरवरी, 2024 से 31 जुलाई, 2024 तक निम्नलिखित दृष्टान्त के अनुसार समस्त श्रेणी के कर्मचारियों को परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता अनुमत्त होगा।

दृष्टान्त-(500 तक अकुशल श्रेणी हेतु) -

$[(400-239) \times 7440] + 239 = (161 \times 7440) + 239 = 5011.88 =$ अर्थात् रु0 5012.00 होगा।

(आमा श्रीवास्तव)

उप श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश,
कृते श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश।

दिनांक 15.02.2024

पत्र संख्या 2429-32 /आई0आर0डी0-2024 (म0म0इ0जी0)

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचमार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त को इस आशय से प्रेषित कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत कराएं तथा श्रमिकों, संवायोजकों व उनके प्रतिनिधियों द्वारा मागे जाने पर उपलब्ध कराएं।
- अपर श्रम आयुक्त, उ0प्र0 (प्रवर्तन), मुख्यालय।
- श्री गौरव कुमार, अभियन्ता (विद्युत/यांत्रिक), मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट में अपलोड कराये जाने हेतु।
- पुस्तकालय अध्यक्ष, मुख्यालय, कानपुर।

(आमा श्रीवास्तव)

उप श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश,
कृते श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत 74 अनुसूचित नियोजनों में देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत राजाजा संख्या-194/36 -3-2014-07 (न्यू0वे0)/4 दिनांक: 28-1-2014 द्वारा 59 तथा अधिसूचना संख्या-850/36-03 -2019 -931(न्यू0वे0)/06 दिनांक: 30 सितम्बर 2019 द्वारा 15 अनुसूचित नियोजनों में नियोजित कर्मकारों हेतु मजदूरी की मूल दरों एवं परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते का निर्धारण किया गया है। मजदूरी की जो दरें मासिक आधार पर निर्धारित की गयी है उनकी दैनिक दर, मूल मजदूरी और परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते के 1/26 से कम तथा प्रति घंटे दर दैनिक दर का 1/6 से कम न होगी।

उक्त के अनुक्रम में निम्नांकित 74 नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों के लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष(2001=100) माह जुलाई 2012 से दिसम्बर 2012 के औसत 216 अंको के ऊपर जनवरी 2024 से जून 2024 के औसत अंक 402 पर दिनांक: 1-10-2024 से 31-3-2025 तक की अवधि हेतु परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता निम्नलिखित दृष्टान्त की भाँति गणना करके देय होगा:-

दृष्टान्त-रूपये 5750/-प्रतिमाह मजदूरी पाने वाले अकुशल श्रेणी के कर्मचारियों को औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-402 पर दिनांक: 1-10-2024 से 31-3-2025 तक की अवधि हेतु परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता निम्नलिखित होगा।

(402-216)

.....X5750= रू0-4951/-प्रतिमाह

216

विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों को देय प्रतिमाह मूल मजदूरी, परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता, की मासिक एवं दैनिक मजदूरी की दरें।

कर्मोंक	श्रेणी	प्रतिमाह मूल मजदूरी रूपये में	दिनांक:1.04.2024 से 30.9.2024 तक कुल मजदूरी (रूपये में)	परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता रू0 में	दिनांक:1.10.2024 से 31.3.2025 तक	
				दिनांक:1.10.2024 से 31.3.2025 तक	कुल मजदूरी (रूपये में) (3+5)	दैनिक मजदूरी (रूपये में) (1/26)
1	2	3	4	5	6	7
1	अकुशल	5750	10648	4951	10701	412
2	अर्धकुशल	6325	11713	5447	11772	453
3	कुशल	7085	13120	6101	13186	507

2 ईट मट्टा उद्योग नियोजन में नियोजित श्रमिकों की मजदूरी निम्नवत् है:-

कर्मोंक	श्रेणी	दिनांक:1.10.2024 से 31.3.2025 तक		
1	अकुशल	उपरोक्त तालिका के कर्मोंक 1 व 3 के अनुसार न्यूनतम वेतन देय होगा		
2	कुशल	उपरोक्त तालिका के कर्मोंक 1 व 3 के अनुसार न्यूनतम वेतन देय होगा		
		मूल मजदूरी	परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता रू0 में	कुल मजदूरी(रूपये में)
2	पथेरा	रू0-365	रू0-314	रूपया-679/- प्रति हजार
	भराईवाला			
	(1) 500 मीटर की दूरी तक	रू0-110	रू0-95	रूपया-205/- प्रति हजार
	(2) 500 मीटर से अधिक	रू0-132	रू0-114	रूपया-246/- प्रति हजार
3	निकासी वाला	रू0-110	रू0-95	रूपया-205/- प्रति हजार

- रबर की विनिर्माणशाला और रबर उत्पाद(टायर और टयूब सहित) के उद्योग।
- प्लास्टिक उद्योग और प्लास्टिक उत्पाद के उद्योग
- मिष्ठान उद्योग।
- वासित पेयो(एरोटेड ड्रिक्स) के विनिर्माण।
- फलों के रसों की विनिर्माणशाला।
- परतदार लकड़ी(प्लाईवुड) के उद्योग।
- पेट्रोल और डीजल आयल पम्प।
- डेरी और मिल्क डेरी।
- सिल सिलाये कपड़ों की विनिर्माणशाला।
- बॉध तटबन्ध के निर्माण और अनुरक्षण, सिंचाई परियोजनाओं कुओं और तालाबों की खुदाई।
- उन समस्त रजिस्ट्रीकृत कारखानों में नियोजन, जिनका उल्लेख पहले नहीं किया गया है।
- प्राइवेट अस्पताल(नर्सिंग होम्स) एवं प्राइवेट क्लीनिकों और प्राइवेट डाक्टरों सामान की दुकानों।
- ढलाई घर।
- धातु उद्योग।
- टिन प्लेट शॉपिंग और टिन प्रिंटिंग।
- ऐसे अभियन्त्रण उद्योग जिसमें 50 से कम व्यक्ति नियोजित हों।
- चर्म शोधनशाला और चर्म विनिर्माणशाला।
- चर्म वस्तु विनिर्माण उद्योग।
- होजरी सकर्म।
- निजी पुस्तकालय।
- काष्ठ संकर्म और फर्नीचर उद्योग।
- प्राइवेट कोचिंग कक्षाओं प्राइवेट विद्यालयों, जिनमें नर्सरी स्कूल और निजी प्राविधिक संस्थाएं भी सम्मिलित हैं।
- तम्बाकू विनिर्माण।
- धर्मशाला।

- 25 वानिकी(फारेस्ट्री) लट्ठा बनाने और काष्ठ कार्य, जिसके अन्तर्गत किसी अन्य वन उपज का संग्रहण और उसी मण्डी में ले जाना भी है।
- 26 दुकानों में
- 27 वाणिज्य अधिष्ठानों में।
- 28 चावल मिल, आटा मिल या दाल मिल।
- 29 तेल मिल।
- 30 लोक मीटर परिवहन।
- 31 यंत्रिक परिवहन कर्मशाला।
- 32 आटोमोबाइल रिपेयर्स कर्मशाला।
- 33 सड़कों के निर्माण या उन्हें बनाये रखने का निर्माण सक्रियाओं।
- 34 पत्थर तोड़ने या पत्थर कूटने।
- 35 धिकन के कार्य।
- 36 दियासलाई उद्योग।
- 37 आइसक्रीम/आईसकीम विनिर्माणशाला।
- 38 बेकरी और बिस्कूट विनिर्माणशाला।
- 39 बर्फ विनिर्माणशाला।
- 40 एस्बेस्टस सीमेन्ट कारखानों और अन्य सीमेन्ट उत्पाद विनिर्माणशाला।
- 41 लाण्डी और धुलाई अधिष्ठान।
- 42 जिल्दसाजी।
- 43 कोल्ड स्टोरेज।
- 44 पाटरी, सिरमिक्स या रिफैक्ट्रीज।
- 45 निजी मुद्रणालय।
- 46 सिनेमा उद्योग।
- 47 कपड़ा छपाई।
- 48 सिलाई उद्योग।
- 49 ऐलोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी फार्मसी।
- 50 क्लब
- 51 हथकरघा(सिल्क की साडी बुनाई) जरी के कार्य।
- 52 कपड़ा धोने या प्रसाधन के साबुन या सिलिकेट या साबुन का चूर्ण या प्रक्षालक विनिर्माण।
- 53 ऊनी कम्बल बनाने के अधिष्ठान
- 54 खाण्डसारी।
- 55 हथकरघा उद्योग।
- 56 शक्ति चालित करघा उद्योग।
- 57 छोटा(मिनिएचर) बल्ब एवं कॉच उत्पादों के निर्माण।
- 58 कागज, गत्ता और पेपर बोर्ड उद्योग।
- 59 ईट भट्ठा उद्योग।
- 60 ताला उद्योग के नियोजन में।
- 61 पीतल के बर्तनों एवं पीतल उत्पाद के विनिर्माण के नियोजन।
- 62 किसी निजी सुरक्षा और सेवा प्रदाता अभिकरण में नियोजित सुरक्षा कर्मी(सुरक्षा कर्मियों) जिनमें हथियार सहित/हथियार रहित आदि कर्मी सम्मिलित हों।
- 63 बुहारने और सफाई में नियोजन, जिसमें सफाई कर्मचारी नियोजन एवं शुष्क सौचालयों का निर्माण(प्रतिशोध) अधिनियम 1993 के अन्तर्गत के निषिद्ध क्रिया-कलाप सम्मिलित नहीं है।
- 64 घरेलू कामगारों का नियोजन।
- 65 कम्प्यूटर हार्डवेयर उद्योग एवं सेवाओं में नियोजन।
- 66 एल0पी0जी0वितरण एवं संबंधित सेवाओं में नियोजन।
- 67 टैक्सिज, आटोरिक्शा/टैम्पो एवं ट्रैवलिंग अभिकरण में नियोजन।
- 68 केबिल आपरेटर एवं संबंधित सेवाओं में नियोजन।
- 69 गैर सरकारी संगठन(एन0जी0ओ0) एवं संबंधित सेवाओं में नियोजन।
- 70 विक्रय संवर्धन(विक्रय संवर्धन(सेवा शर्त) अधिनियम 1976 के अधीन सम्मिलित अथा सम्मिलित किये जाने वाले किसी उद्योगों में) में नियोजन।
- 71 हेयर कंटेगि सैलून एवं व्यूटी पार्लर(पुरुष एवं महिलायें) में नियोजन।
- 72 कारपोरेट कार्यालयों में नियोजन।
- 73 काल सेंटर/आई0टी0 इण्डस्ट्रीज/टेलीकालिंग सेवाओं आदि में नियोजन।
- 74 ऐसे प्रतिष्ठान जो किसी अनुसूचित नियोजन के अधीन आच्छादित न हों, में नियोजन।

(अजय कुमार मिश्रा)

उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
कृते श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

कार्यालय, श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, जी0 टी0 रोड, कानपुर।

संख्या 801-07 प्रवर्तन-(एम0डब्लू0)/15 दिनांक 01/10/2024

- 1 समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत कराये तथा श्रमिकों, सेवायोजकों व उनके प्रतिनिधियों द्वारा माँगे जाने पर उपलब्ध कराए।
- 2 अनुसचिव, उत्तर प्रदेश शासन, श्रम अनुभाग-3, बापू भवन, लखनऊ।
- 3 सहायक निदेशक, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय(वेज सेल)भारत सरकार नई दिल्ली ई-मेल wagecell@nic.in के माध्यम से
- 4 अधिशासी निदेशक उद्योग बन्धु, लखनऊ।
- 5 उप श्रम आयुक्त(आई0आर0), मुख्यालय, कानपुर।
- 6 उप श्रम आयुक्त(कम्प्यूटर), मुख्यालय को समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त को ईमेल के माध्यम से प्रेषित कराने तथा विभागीय वेबसाइट www.uplabour.gov.in पर अपलोड कराने हेतु।
- 7 श्री हिमांशु कुमार, पुस्तकालयाध्यक्ष, मुख्यालय को अभिलेखार्थ प्रेषित।
- 8 समस्त प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों को जन सामान्य की जानकारी हेतु जनहित में निशुल्क प्रकाशनार्थ।

(अजय कुमार मिश्रा)

उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
कृते श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।



न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत 74 अनुसूचित नियोजनों में देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत राजाज्ञा संख्या-194/36-3-2014-07 (न्यू0वे0)/4 दिनांक: 28-1-2014 द्वारा 59 तथा अधिसूचना संख्या-850/36-03-2019-931(न्यू0वे0)/06 दिनांक: 30 सितम्बर 2019 द्वारा 15 अनुसूचित नियोजनों में नियोजित कर्मकारों हेतु मजदूरी की मूल दरों एवं परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते का निर्धारण किया गया है। मजदूरी की जो दरें मासिक आधार पर निर्धारित की गयी हैं उनकी दैनिक दर, मूल मजदूरी और परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते के 1/26 से कम तथा प्रति घंटे दर दैनिक दर का 1/6 से कम न होगी।

उक्त के अनुक्रम में निम्नांकित 74 नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों के लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष(2001=100) माह जुलाई 2012 से दिसम्बर 2012 के औसत 216 अंको के ऊपर जुलाई 2024 से दिसम्बर 2024 के औसत अंक 414 पर दिनांक: 1-04-2025 से 30-9-2025 तक की अवधि हेतु परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता निम्नलिखित दृष्टान्त की भाँति गणना करके देय होगा:-

दृष्टान्त-रूपये 5750/-प्रतिमाह मजदूरी पाने वाले अकुशल श्रेणी के कर्मचारियों को औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-414 पर दिनांक: 1-04-2025 से 30-9-2025 तक की अवधि हेतु परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता निम्नलिखित होगा।

(414-216)

.....X5750= रू0-5270.83/-प्रतिमाह

216

विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों को देय प्रतिमाह मूल मजदूरी,परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता, की मासिक एवं दैनिक मजदूरी की दरें ।

क्रमिक	श्रेणी	प्रतिमाह मूल मजदूरी रूपये में	दिनांक:1.10.2025 से 31.3.2025 तक कुल मजदूरी (रूपये में)	परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता रू0 में	दिनांक:1.04.2025 से 30.9.2025 तक	
				दिनांक:1.04.2025 से 30.9.2025 तक	कुल मजदूरी (रूपये में) (3+5)	दैनिक मजदूरी (रूपये में) (1/26)
1	2	3	4	5	6	7
1	अकुशल	5750	10701	5270.83	11.020.83	423.87
2	अर्धकुशल	6325	11772	5797.91	12.122.91	466.26
3	कुशल	7085	13186	6494.58	13.579.11	522.29

2 ईट भट्टा उद्योग नियोजन में नियोजित श्रमिकों की मजदूरी निम्नवत् है:-

क्रमिक	श्रेणी	दिनांक:1.04.2025 से 30.9.2025 तक		
1	अकुशल	उपरोक्त तालिका के क्रमिक 1 व 3 के अनुसार न्यूनतम वेतन देय होगा		
2	कुशल			
		मूल मजदूरी	परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता रू0 में	कुल मजदूरी(रूपये में)
2	पथेरा	रू0-365	रू0-334.58	रूपया-699.58/- प्रति हजार
	भराईवाला			
	(1) 500 मीटर की दूरी तक	रू0-110	रू0-100.83	रूपया-210.83/- प्रति हजार
	(2) 500 मीटर से अधिक	रू0-132	रू0-121.00	रूपया-253/- प्रति हजार
3	निकासी वाला	रू0-110	रू0-100.83	रूपया-210.83/- प्रति हजार

- रबर की विनिर्माणशाला और रबर उत्पाद(टायर और ट्यूब सहित) के उद्योग।
- प्लास्टिक उद्योग और प्लास्टिक उत्पाद के उद्योग
- मिष्ठान उद्योग।
- वासित पेयो(एरोटेड ड्रिंक्स) के विनिर्माण।
- फलों के रसों की विनिर्माणशाला।
- परतदार लकड़ी(प्लाईवुड) के उद्योग।
- पेट्रोल और डीजल आयल पम्प।
- डेरी और मिल्क डेरी।
- सिल सिलाये कपड़ों की विनिर्माणशाला।
- बॉध तटबन्ध के निर्माण और अनुस्क्षण, सिंचाई परियोजनाओं कुओं और तालाबों की खुदाई।
- उन समस्त रजिस्ट्रीकृत कारखानों में नियोजन, जिनका उल्लेख पहले नहीं किया गया है।
- प्राइवेट अस्पताल(नर्सिंग होम्स) एवं प्राइवेट क्लीनिकों और प्राइवेट डाक्टरी सामान की दुकानों।
- ढलाई घर।
- धातु उद्योग।
- टिन प्लेट शॉपिंग और टिन प्रिंटिंग।
- ऐसे अभियन्त्रण उद्योग जिसमें 50 से कम व्यक्ति नियोजित हों।
- चर्म शोधनशाला और चर्म विनिर्माणशाला।
- चर्म वस्तु विनिर्माण उद्योग।
- होजरी सकर्म।
- निजी पुस्तकालय।
- काष्ठ संकर्म और फर्नीचर उद्योग।
- प्राइवेट कोचिंग कक्षाओं प्राइवेट विद्यालयों, जिनमें नर्सरी स्कूल और निजी प्राविधिक संस्थाएं भी सम्मिलित हैं।
- तम्बाकू विनिर्माण।
- धर्मशाला।
- वानिकी(फारेस्ट्री) लट्टा बनाने और काष्ठ कार्य, जिसके अन्तर्गत किसी अन्य वन उपज का संग्रहण और उसे मण्डी में ले जाना भी है।

- 26 दुकानों में
- 27 वाणिज्य अधिष्ठानों में।
- 28 चावल मिल, आटा मिल या दाल मिल।
- 29 तेल मिल।
- 30 लोक मीटर परिवहन।
- 31 यंत्रिक परिवहन कर्मशाला।
- 32 आटोमोबाइल रिपेयर्स कर्मशाला।
- 33 सड़कों के निर्माण या उन्हें बनाये रखने का निर्माण संक्रियाओं।
- 34 पत्थर तोड़ने या पत्थर कूटने।
- 35 चिकन के कार्य।
- 36 दियासलाई उद्योग।
- 37 [आइसक्रीम/आईसक्रीम](#) विनिर्माणशाला।
- 38 बेकरी और बिस्कुट विनिर्माणशाला।
- 39 बर्फ विनिर्माणशाला।
- 40 एस्बेस्टस सीमेन्ट कारखानों और अन्य सीमेन्ट उत्पाद विनिर्माणशाला।
- 41 लाण्डी और धुलाई अधिष्ठान।
- 42 जिल्दसाजी।
- 43 कोल्ड स्टोरेज।
- 44 पाटरी, सिरैमिक्स या रिफ़ैक्ट्रीज।
- 45 निजी मुद्रणालय।
- 46 सिनेमा उद्योग।
- 47 कपड़ा छपाई।
- 48 सिलाई उद्योग।
- 49 ऐलोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी फार्मसी।
- 50 क्लब
- 51 हथकरघा(सिल्क की साड़ी बुनाई) जरी के कार्य।
- 52 कपड़ा धोने या प्रसाधन के साबुन या सिलिकेट या साबुन का चूर्ण या प्रक्षालक विनिर्माण।
- 53 ऊनी कम्बल बनाने के अधिष्ठान
- 54 खाण्डसारी।
- 55 हथकरघा उद्योग।
- 56 शक्ति चालित करघा उद्योग।
- 57 छोटा(मिनिचर) बल्ब एवं कौच उत्पादों के निर्माण।
- 58 कागज, गत्ता और पेपर बोर्ड उद्योग।
- 59 ईंट भट्टा उद्योग।
- 60 ताला उद्योग के नियोजन में।
- 61 पीतल के बर्तनों एवं पीतल उत्पाद के विनिर्माण के नियोजन।
- 62 किसी निजी सुरक्षा और सेवा प्रदाता अभिकरण में नियोजित सुरक्षा कर्मी(सुरक्षा कर्मियों) जिनमें हथियार सहित/हथियार रहित आदि कर्मी सम्मिलित हों।
- 63 बुहारने और सफाई में नियोजन, जिसमें सफाई कर्मचारी नियोजन एवं शुष्क सौचालयों का निर्माण(प्रतिशोध) अधिनियम 1993 के अन्तर्गत के निषिद्ध क्रिया-कलाप सम्मिलित नहीं हैं।
- 64 घरेलू कामगारों का नियोजन।
- 65 कम्प्यूटर हार्डवेयर उद्योग एवं सेवाओं में नियोजन।
- 66 एल0पी0जी0वितरण एवं संबंधित सेवाओं में नियोजन।
- 67 टैक्सीज, आटोरिक्शा/टैम्पो एवं ट्रेवलिंग अभिकरण में नियोजन।
- 68 केबिल आपरेटर एवं संबंधित सेवाओं में नियोजन।
- 69 गैर सरकारी संगठन(एन0जी0ओ0) एवं संबंधित सेवाओं में नियोजन।
- 70 विक्रय संवर्धन(विक्रय संवर्धन(सेवा शर्तों) अधिनियम 1976 के अधीन सम्मिलित अथा सम्मिलित किये जाने वाले किसी उद्योगों में) में नियोजन।
- 71 हेयर कटिंग सैलून एवं ब्यूटी पार्लर(पुरुष एवं महिलायें) में नियोजन।
- 72 कारपोरेट कार्यालयों में नियोजन।
- 73 काल सेन्टर/आई0टी0 [इण्डस्ट्रीज/टेलीकॉमिनिंग](#) सेवाओं आदि में नियोजन।
- 74 ऐसे प्रतिष्ठान जो किसी अनुसूचित नियोजन के अधीन आच्छादित न हो, में नियोजन।

Signed by

Markandeya Sahi

Date 27-03-2025 17:39:09

कार्यालय, श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, जी0 टी0 रोड, कानपुर।

संख्या2111-18 प्रवर्तन-(एम0डब्लू0)/15 दिनांक:27/03/2025

- 1 समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत कराये तथा श्रमिकों, सेवायोजको व उनके प्रतिनिधियों द्वारा माँगे जाने पर उपलब्ध कराएं।
- 2 अनुसचिव,उत्तर प्रदेश शासन, श्रम अनुभाग-3, बापू,भवन, लखनऊ।
- 3 सहायक निदेशक, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय(वेज सेल)भारत सरकार नई दिल्ली ई-मेलwagecell@nic.in के माध्यम से
- 4 अधिशासी निदेशक उद्योग बन्धु, लखनऊ।
- 5 उप श्रम आयुक्त(आई0आर0),मुख्यालय, कानपुर।
- 6 उप श्रम आयुक्त(कम्प्यूटर),मुख्यालय को समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त को ईमेल के माध्यम से प्रेषित कराने तथा विभागीय वेबसाइट www.uplabour.gov.in पर अपलोड कराने हेतु।
- 7 श्री हिमांशु कुमार, पुस्तकालयाध्यक्ष, मुख्यालय को अभिलेखार्थ प्रेषित।
- 8 समस्त प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों को जन सामान्य की जानकारी हेतु जनहित में निशुल्क प्रकाशनार्थ।

(मार्कण्डेय शाही)
श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।